

प्रा.पत्र अ.धा. 136 एलआर एक्ट मु.सं. 09/2017 उनवान रामसिंह बनाम तहसीलदार


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--

19.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम सेवा तहसील धोद के खसरा सं. 27 रकबा 2.29 हेक्टेयर व खसरा सं. 29 रकबा 2.09 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.3800 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का रामूराम पुत्र टीकूराम अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम राम सिंह पुत्र टीकू राम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम राम सिंह पुत्र टीकू राम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामूराम पुत्र टीकूराम के स्थान पर राम सिंह पुत्र टीकू राम दुरुस्त किया जावे।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। प्रार्थना-पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "मौका जांच में पूछताछ, शपथ-पत्र व प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात यथा पहचान-पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम राम सिंह पुत्र टीकू राम है। अतः प्रार्थी का नाम रामूराम के स्थान पर राम सिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेवा तहसील धोद के खसरा सं. 27 रकबा 2.29 हेक्टेयर व खसरा सं. 29 रकबा 2.09 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.3800 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का रामूराम पुत्र टीकूराम के स्थान पर राम सिंह पुत्र टीकू राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर
धोद मु. सीकर